प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग (छ.ग.)

वार्षिक प्रतिवेदन

2016–17

मुख्य कार्यालय
क्वा.नं.231 पंच□ील एकेडमी के पीछे मुक्तनगर, पद्यमनाभपुर
दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड– 491001
फोन नं.– 0788–4032365, 94251–62080
E-mail- pratigyadurg@rediffmail.com
pratigyalws@gmail.com
Website- www.pratigyango.org

भााखा कार्यालय

एम.आई.जी. डुप्लेक्स–18, पुराना पोश्ट ऑफिस लाईन इंडस्ट्रीयल एरिया
हाउसिंग बोर्ड कालोनी भिलाई
दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड– 491001
फोन नं.– 94251–62080

अन्नपूर्णा पारा मुक्ति धाम के सामने कांकेर (छ.ग.)

ग्राम –बांसपारा एकता नगर वार्ड नं. 30 निखिल कम्प्युटर के पास धमतरी
जिला धमतरी (छ.ग.) मो. 9229490207

प्रतिज्ञा विकास संस्थान, दुर्ग (छ.ग.)

An Introduction

संस्था के बारे मेंः– प्रतिज्ञा विकास संस्थान एक गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संस्था है । संस्था अपने प्रारंभ काल से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। संस्था अपने उद्देश्यों और लक्ष्य के अनुरूप शासकीय/गैर शासकीय/राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया गया है। संस्था समग्र विकास सभी समुदाय के लोगों को लेकर कार्य करती है। सभी जाति, वर्ग को अपने कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करती है। संस्था द्वारा विशेषकर जन जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संवर्धन, कृषि उत्पादन, कौशल विकास, पशुधन विकास, आदिवासी विकास, स्वसहायता समूह, किसान क्लब, अजीविका मिशन, माइक्रो फाईनेंस, पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुपोषण, वॉटर शेड आदि कार्यक्रमों के साथ कार्य करती आ रही है। संस्था छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 की धारा 44 के तहत पंजीकृत है। संस्था विदेशी अनुदान सहायता योजना (एफ.सी.आर.ए. के तहत भी पंजीकृत है।) संस्था का पेन कार्ड, 12ए एवं 80 जी, टेन नं. अजीविका मिशन में पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन नबंर है। संस्था का पंजीकृत कार्यालय दुर्ग जिले में एवं क्षेत्रीय कार्यालय जिला कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव में स्थित है।

Vision & Mission

संस्था का लक्ष्य समाज से है समाज के अंदर पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे–कुचले लोगों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास करना ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके तथा समान स्वतंत्रता व सम्मान पूर्वक मानवीय जीवन जी सके।

संस्था अपने उद्दे□यों तथा विजन और मि□ान के अनुरूप निम्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है

Organization since its inception is working under the broad themes of:

• **Health & Nutrition (स्वास्थ्य एवं पोशण)**	• वालेन्टरी हेल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम • अक्षय इंडिया परियोजना के अंतर्गत केयर छ.ग. के साथ टी.बी. उन्मुलन कार्यक्रम • महिला एवं बाल विकास के साथ मिलकर महिला जागृति शिविर कुपोषण, महिलाओ के स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्य। • महिला बाल विकास के अंतर्गत नवाजतन परियोजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए दुर्ग धमतरी एवं कांकेर में कार्य किया गया। • संस्था द्वारा कांकेर जिले में वालेन्ट्री एसोशिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मलेरिय उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। • छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से एच.आई.व्ही./एड्स के रोकथाम के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना माईग्रेन्ट एवं ट्रकर्स का संचालन। • छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से एच.आई.व्ही./एड्स के रोकथाम के लिए लिंकवर्कर स्कीम परियोजना का संचालन।

	• यूनिसेफ के सहयोग से महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त अभियान के लिए ''नवाजतन'' कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ के 27 जिलो में हो रहा है। • संस्था 2002 से 2008 तक केयर छत्तीसगढ़ के साथ एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्य की।
• **Micro Finance**	• नाबार्ड रायपुर के सहयोग से धमतरी दुर्ग में समुहों का गठन प्रशिक्षण एवं बैंको से लिंकेज करने का कार्य किया गया। • स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला पंचायत धमतरी दुर्ग एवं कांकेर में समुहों का गठन संवर्धन एवं प्रशिक्षण। • एस.एच.जी. को बैंक लिंकेज एवं ऋण उपलब्ध कराना।
• **Watersed (जल संवर्धन)**	• जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता का प्रशिक्षण। • जीवकोपार्जन हेतु प्रशिक्षण एवं स्वसहायता समूह का गठन। • जल प्रबंधन के अंतर्गत स्वसहायता समूह का गठन एवं किसानो को जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण। • ग्राम माइक्रो प्लान तैयार करना (डी.पी.आर.)।
• **Awareness campaign (जागरूकता अभियान)**	• संस्था शासन की विभिन्न जनकल्याण कारी योजनाओं को जन जन तक पहंचाने के लिए कलाजत्था, प्रचार प्रसार पोस्टर पांम्पलेट रैली संगोष्ठी एवं विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार।
• **Education (शिक्षा)**	• संस्था शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा, शिक्षा का अधिकार विषय पर सामुदाय में जागृति एवं प्रशिक्षण। • स्कूल छूट गये या छोड़ दिये गये बच्चों का शाला प्रवेश।
• **Self-Employment Training (स्व–रोजगार अजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण)**	• संस्था नाबार्ड एवं छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग विभाग तथा रोजगार कार्यालय एवं मार्गदर्शन केन्द्र के सहयोग से स्वरोजगार का कार्य संचालित किया गया।
• **Level of Agriculture Programme (कृषि आधारित कार्यक्रम)**	• संस्था नाबार्ड के सहयोग से दुर्ग, धमतरी, बालोद में किसान क्लब का गठन कर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य। • उन्नत किस्म के बीज उत्पादन का प्रशिक्षण। • किसान क्लब का भ्रमण। • आत्मा परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण उन्नत किस्म की खेती के लिए प्रोत्साहन। • नाबार्ड के अंतर्गत शीड विपेज की स्थापना।
• **Skill Development Programme**	• संस्था नाबार्ड के साथ एस.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(कौ□ाल विकास कार्यक्रम)	• महिला बाल विकास के सहयोग से छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। • संस्था द्वारा दोना पत्ता, सिलाई, कंदमूल आदि रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
• **Tribal Development Programme** (आदिवासी विकास)	• आदिवासियो के विकास के लिए संस्था द्वारा उन्हे रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
• **Women Empowerment** (महिला स□ाक्तिकरण)	• अंतर्राराष्ट्रीय महिला दिवस • महिला अधिकार • महिला उत्पीड़न पर कार्यशाला
• **Environment Preservation** (पर्यावरण)	• पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संगोष्ठि रैली एवं पौधारोपण का कार्य।
• **Cleaning** (स्वच्छता)	• संस्था अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के परिधि के अंतर्गत सामुदाय को शौचालय का उपयोग एवं सम्पूर्ण स्वच्छता से होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी।
• **Socieo and Economy survey**	• डॉ. मनीषा तेलान कन्सलटेन्ट एसीयन डवलपमेंट बैंक द्वारा रोड निर्माण के पूर्व सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया गया।
• **Agricultute Development**	• आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषकों को आर्थिक उन्नत के लिए कृषि आधारित प्रशिक्षण का कार्य प्रदान किया गया।
• **Integrated Child Protection Scheme**	• संस्था महिला एवं बाल विकास से जुड़कर बच्चों के लिए स्पेशल दत्तक ग्रहण योजना संचालित कर रही है।
• **Integrated Child Protection Scheme**	• संस्था महिला एवं बाल विकास से जुड़कर बच्चों के लिए बालगृह(बालक) 50 बच्चों की क्षमता वाला धमतरी जिले में संचालित कर रही है।

रणनीति

संस्था अपने विजन एवं मिशन के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार रणनीति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है।

- Knowledge Building जागरूकता निर्माण
- Capacity Building क्षमता निर्माण
- Networking and Advocacy and
- Micro Finance & Self-Employment
- Community mubilaization
- Survey and Need Assessment

प्रतिज्ञा विकास संस्थान, दुर्ग (छ.ग.)

The relationship between the three strategies for achieving vision and mission of social change could be represented diagrammatically below: सामाजिक परिवर्तन के लिए उपरोक्त पांचों रणनीति के माध्यम से अपने विजन एवं मिशन को प्राप्त करने में प्रयास किया जा रहा है।

स्वास्थ्य (Health) के क्षेत्र में किये गये कार्य

Targated Intervantion Project- Migrant

'छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर' के सहयोग से टी.आई माईग्रेंट प्रोजेक्ट का संचालन विगत 01 फरवरी 2009 से निरंतर चल रहा हैं, संस्था का आज तक बाह्य एजेंसियों द्वारा तीन बार मूल्यांकन किया गया एवं अच्छे कार्यों के आधार पर संस्था को निरंतर किया गया। उक्त परियोजना भिलाई एवं दुर्ग, रसमड़ा क्षेत्र में संचालित है। परियोजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों जो अपने क्षेत्र से कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और परिवार से दूर रहकर कुछ समय के लिए जीवन यापन करते हैं एवं अपने मूल स्थान पर आते और जाते रहते हैं, उन्हे एच.आई.वी. /एड्स के बचाव के लिए आवश्यक उपाय, वातावरण निमार्ण कर उन्हे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायी जाती है। इसके लिए संस्था के मैदानी कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारा टार्गेट 15000 है कवरेज 60000 है। संस्था द्वारा उक्त परियोजना में निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं :–

1. व्यवहार परिवर्तन, 2. एस.टी.आई. मैनेजमेंट, 3. कंडोम प्रमोशन, 4. कम्युनिटी मोबिलाईजेशन एवं इनाबिलिंग इनवायरमेंट, 5. रेफरल एवं लिंकेज 6. मानिटरिंग एवं इवोलेशन।

HIV/AIDS PROGRAMME

Targated Intervantion Project- Truckers

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर नाको के सहयोग से संस्था को लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अंतर्गत लंबी दूरी वाले ट्रक ड्राइवर एवं हेल्पर के लिए ट्रकर्स परियोजना दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में ट्रकर्स पांउट में वर्ष 2010 में स्वीकृत की गई है, संस्था का आज तक बाह्य एजेंसियों द्वारा तीन बार मूल्यांकन किया गया एवं अच्छे कार्यों के आधार पर संस्था को निरंतर किया गया, जो लगातार चल रहीं है। उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल 15000 ट्रकर्स का लक्ष्य रखा गया है एवं 60000 का कवरेज।

प्रतिज्ञा विकास संस्थान द्वारा सन्–2010 से HIV/AIDS एवं STI (यौन रोग) के बचाव हेतु NACO & Chhatisgarh State Aids Control Society, Raipur के सहयोग से 15000 टारगेट(प्रतिवर्ष) एवं लम्बी दुरी पर चलने वाले ट्रकर्स (800किमी.) पर ट्रॉसपोर्ट नगर हथखोज भिलाई में Targated Intervantion Truckers Project (HIV/AIDS Control Program-NACP-IV) का संचालन किया जा रहा हैं। जिनमे आई.पी.सी., हेल्थ केम्प, नुक्कड नाटक, फिल्म शो इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से ट्रकर्स (हेल्पर एवं ड्राइवर) को HIV/AIDS एवं STI (यौन रोग) के बचाव हेतु जागरूकता एवं जानकारी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही इस हेतु एच.आई.वी. जॉच एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जा रहा हैं। साथ ही पी.एल.एच.ए एच.आर.जी. की पूर्ण रूप से चिकित्सा सुविधा एवं समय समय पर उचित देखरेख कर सहयोग प्रदान किया जा रहा हैं।

संस्था उपरोक्त कार्यो को ट्रॉसपोर्ट नगर हथखोज भिलाई, ए.सी.सी.सिमेन्ट कंपनी जामुल, बी.एस.पी. बोरिया गेट भिलाई, जेपी सिमेन्ट कंपनी भिलाई एवं भारत पेट्रोलियम–इंडियन ऑयल डिपो भिलाई क्षेत्र मे सेवा प्रदान कर रही है।

प्रतिज्ञा विकास संस्थान, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियत्रंण समिति के सहयोग से संचालित लिंक वर्कर परियोजना

सामान्य परिचय :–

लिंक वर्कर स्कीम छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर की महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका क्रियान्वयन छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से चार गैर सरकारी संगठनों का चयन जिला क्रियान्वयन समिति के रूप में किया गया है। ये संगठन जिला स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे है। प्रतिज्ञा विकास संस्थान भी उन्हीं गैर शासकीय संगठनों में से एक है।

जिस क्षेत्रो में लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना अपनी सेवाएँ नहीं दे पाते वहॉ लिंक वर्कर परियोजना द्वारा HIV के प्रति जागरूकता फैलाना तथा लोगो को कंडोम की उपलब्धता एवं उपयोगिता और HIV की जॉच कराना इस परियोजना के संचालन का मुख्य कारण है। यह परियोजना जिले के 100 गांवो मे संचालित किया जाएगा।

योजना की परिकल्पना :–

- एचआईवी / एड्स से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए मांग बढाना।
- मौजूदा सेवाओं से लक्ष्य आबादी को जोड़ना । योजना अपने आप से कोई भी सेवा प्रदान नहीं करती है।
- परियोजना क्षेत्र में एक अनुकूल और कलंक मुक्त वातावरण बनाना ।
- यह सुनिश्चित करना की लक्ष्य आबादी निरंतर सेवाओं व जानकारी का उपयोग सतत आधार पर कर सके ।
- आशा स्वयंसेवकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रमुखों, मनरेगा योजना के अधिकारियों आदि के माध्यम से अन्य विभागों की सेवाओं के साथ संबंधों को बनाना।

योजना में शामिल :–

बेहद प्रेरित और प्रशिक्षित समुदाय के सदस्य – गांवो के समूहों (Cluster) के लिए एक पुरूष, एक महिला क्लस्टर लिंक वर्कर जो कि सूचना, सेवाओं और समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करेगा।

संचालित कार्य

संचालित परियोजना प्रदाता विभागः–

लिंक वर्कर स्कीम छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की महत्वाकांक्षी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका क्रियांन्वयन छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के सहयोग से इस राज्य के चार गैर सरकारी संगठनों का चयन जिला क्रियान्वयन समिति के रूप में किया गया है। ये संगठन जिला स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे है। प्रतिज्ञा विकास संस्थान भी उन्हीं गैर शासकीय संगठनों में से एक है।

संचालित कार्यों के कार्यक्षेत्रः–

प्रतिज्ञा विकास संस्थान, दुर्ग (छ.ग.)

परियोजना के दिशानिर्देश के अनुसार कुल 150 गांवो का सर्वे किया गया जिसमें से 100 संवेदनशील गांवो का चयन किया गया और प्रत्येक 5 गांवो मे 1 लिंक वर्कर का चयन किया गया।

एकीकृत बाल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन

संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन कांकेर जिले में किया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के है, जिन्हें मॉ–बाप छोड़ देते है, लावारिस पाए जाते है या जो विधि के अनुरूप थाने या अन्य जगहो में पाए जाते है, उन्हें दत्तक ग्रहण एजेंसी के तहत् पालन पोषण किया जाता है एवं उन्हें शासन के नियमानुसार दत्तक के रूप में दिया जाता है। यह कार्य संस्था जुलाई 2015 से कांकेर जिले में दत्तक ग्रहण एजेंसी का संचालन महिला एवं बाल विकास के सहयोग से कर रही है।

एकीकृत बाल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत बालगृह(बालक) का संचालन

संस्था द्वारा बालगृह(बालक) का संचालन धमतरी जिले में दिसंबर 2017 से संचालित किया जा रहा है।

युनिसेफ के सहयोग से नवाजतन चतुर्थ चरण का संचालन

संस्था द्वारा युनिसेफ के सहयोग से संचनालय महिला एवं बाल विकास में नवाजतन परियोजना के अंतर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया जो छ.ग. के 27 जिलों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग द्वारा जिला -धमतरी में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वर्ष 2016–17 के अंतर्गत किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम संख्या	चयनित प्रशिक्षार्थी एवं लाभार्थी संख्या
1	स्व.सहायता समूह गठन एवं संवर्धन कार्यक्रम (200 समूह गठन एवं लिंकेज	SHPI NABARD	210 समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण 106 समूहों को बैंक ऋण

	लक्ष्य) 3 वर्ष		
2	किसान क्लब गठन एवं संवंर्धन का कार्यक्रम	निरंतर	208 क्लबो का गठन जिसमें 2000 ग्रामीण कृषक प्रशिक्षित
3	संयुक्त देयता समूह गठन एवं लिंकेज (जिला धमतरी,बालोद एवं दुर्ग)	निरंतर	जिला बालोद के विकासखण्ड गुरूर में 150 JLG गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 51 JLG का गठन कर 43 JLG को KCC ऋण वितरण किया जा चूका है । जिला दुर्ग के विकासखण्ड धमधा में 75 JLG गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 45 JLG का गठन कर 24 JLG को KCC ऋण वितरण किया जा चूका है । जिला धमतरी के विकासखण्ड धमतरी,कुरूद, नगरी एवं मगरलोड़ में 300 JLG गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 210 JLG का गठन कर 166 JLG को KCC ऋण वितरण किया जा चूका है ।
4	टी.पी.एम. (तृतीय पक्ष मूल्यांकन कार्यक्रम) जिला धमतरी, दुर्ग, कांकेर, बालोद एवं कबीरधाम	नेबकान्स नाबार्ड एवं उद्यानिकी विभाग	2014–15 में लाभान्वित उद्यानिकी विभाग की योजना से जुड़े हितग्राहियों का मूल्यांकन 900 कृषकों के बीच जाकर किया गया।
5	ग्राम अकलवारा, वि.खं.गुरूर जिला बालोद में FPO का गठन एवं संचालन	नाबार्ड	ग्राम अकलवारा वि.खं.गुरूर जिला बालोद में श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन कर 500 किसानों का जोड़कर सब्जी उत्पादन एवं विपणन का कार्य प्रारंभ किया गया ।
6	वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम	नाबार्ड	जिला बालोद विकासखण्ड गुरूर के ग्राम–कंवर एवं पेण्डरवानी में वित्तीय जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला धमतरी के विकासखण्ड कुरूद के ग्राम–शिवनीकला, बेलरगांव एवं बिरगुड़ी में विकासखण्ड मगरलोड के ग्राम करेलीबडी में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

1. स्व सहायता समूह गठन एवं लिंकेज तथा प्रशिक्षण :-

प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग के द्वारा जिला धमतरी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृत 200 एस.एच.जी.(एस.एच.पी.आई.) परियोजना विकासखंड कुरूद/धमतरी में संस्था द्वारा 210 समूहों का गठन कर बैंक में बचत खाता खोलवाया गया है। जिसमें 2500 महिला तथा पुरूष परिवारों को जोड़ा गया। एवं 106 समूहो को कुल 10 बैंको से 53,00,000 रू. राशि ऋण प्रदाय करवाया गया है। जिसमें कुल महिलाओं के द्वारा बचत की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तथा आत्मनिर्भरता/महिला शसक्तीकरण के अभियान में जोड़ा गया है। एवं सभी समूहों को नाबार्ड के दिशा निर्देश पर प्रशिक्षण दिया गया । एवं गठित समूहों को बुक कीपिंग , बैठक रखरखाव आदि के बारे में विशेष कार्य करवाया जा रहा है।

डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता SHG कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए
श्री आर.के.गुप्ता जी,अध्यक्ष छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक

2. किसान क्लबों का गठन एवं संवर्धन :-

प्रतिज्ञा विकास संस्थाान दुर्ग द्वारा महिला समुहों के साथ किसानों को प्रेरित करने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में विगत वर्षो से नाबार्ड द्वारा (किसान क्लब कार्यक्रम) में क्लब गठन एवं मार्गदर्शन जैसी विस्तार सेवाओं को प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम (स्वैच्छिक संस्था) प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग का चयन कर पहली बार दस क्लब गठन की जिम्मेदारी सौपी संस्था अध्यक्ष विजय मिश्रा के रूप में अनुभवों के कारण उन्नत कृषि के क्षेत्र में धमतरी जिले में भावी स्कीमों एवं भावी संभावनाओं को देखते हुए विशेष रणनीति के तहत नाबार्ड की अनुशंसा के आधार पर 50 क्लबों का गठन वर्ष 2016–17 के लक्ष्य के अनुरूप 50 ग्रामों के ग्राम पंचायतों में क्लब गठित कर अलग–अलग बैंको में क्लब बचत खाता सुलवाया गया है, जिसमें अभी तक 800 किसानों को जोड़ा गया है। सभी किसान क्लाबों के माध्यम से उन्नत कृषि, उन्नत फसल परिवर्तित दलहन का उत्पादन जिले में पहली बार लिया गया है। जो कि जिले के लिए महत्वपूर्ण सफलता के कार्य में स्थान मिला है। साथ ही किसानों की स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद, बीज, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु 25 ग्रामों के क्लबों को क्रय विक्रय हेतु लाईसेस, उपसंचालक कृषि धमतरी/बालोद एवं राजनांदगांव से दिलवा कर सामुहिक (कृषि सेवा केन्द्र) का संचालन करवाया गया है।

किसान क्लब संघ पर आधारित कृषक जागरूकता कार्यक्रम :-

संस्था द्वारा गठित जागृति किसान क्लब लोहरसी एवं विकास क्लब को नगरी को वर्ष 2010–11 में नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय क्लब एवार्ड मुल्यांकन में छ0ग0 राज्य में प्रथम स्थान के एवार्ड से सम्मानित किया गया है। एवं वर्तमान में संस्था द्वारा जिला धमतरी में 91 एवं जिला दुर्ग एवं बालोद में 17 किसान क्लाबों का गठन व संचालन, कृषि संगोष्ठी, कृषक दिवस, उन्नत बीज प्रदर्शन भ्रमण जिले के सभी विभागों के साथ समन्वयक कर वैज्ञानिक मुलाकात, पशुचिकित्सा शिविर स्थास्थ्य शिविर, श्रमदान कार्यक्रम, तालाब, स्कुल, आंगनबाड़ी, गांव सफाई अभियान जैसे जनकल्याण्कारी कार्यक्रम किसान क्लबों को सुझाव देकर कार्य करवाने गये है। संस्था द्वारा स्थानीय सुविधाओं का दोहन कर नाबार्ड के नियमों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रांति, किसान कार्यशालाओं का जिला स्तर एवं विकासखंण्ड स्तर पर आयोजन दिन प्रतिदिन किया जाता रहा है। छत्तीगढ़ राज्य में सर्वाधिक किसान क्लबों की सक्रियता को देखते हुए संस्था ने एक अनुठे प्रयास को सफलता से निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ का पहला किसान क्लब संघ का गठन किया गया, जिसमें 22 किसान क्लबों के 600 किसानों को संगठित कर एक नया मंच प्रदान किया फेडरेशन का कार्य जिले में संचालित शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धमतरी जिले में वृहद स्तर पर पहुॅचाना होगा। इसी के साथ सामूहिक कृषि सेवा केन्द्र के संचालन में लगने वाले वित्तीय सहायता तथा गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों का उपयोग समय में उपलब्ध करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

कार्यक्रम में उपस्थित नाबार्ड डी.डी.एम श्री विजय धुरंधर एवं कृषकगण

3. संयुक्त देयता समूह गठन एवं लिंकेज

प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग द्वारा नाबार्ड को एक विशेष परियोजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए प्रस्ताव बनाया गया, जो कि कृषि का अनुभव होते हुए भी बैंक ऋण सहायता से वंचित रह जाते हैं एवं रेगहा कट्टू पति के आधार साहूकार की जमीन पर कार्य करते है। संस्था द्वारा नाबार्ड के स्वीकृति उपरांत 550 समूहों के लक्षित लक्ष्य के उपरांत जिला बालोद के विकासखण्ड–गुरूर हेतु निर्धारित लक्ष्य 100 के विरूद्ध 68 संयुक्त देयता समूहों का गठन कर 58 समूहों का बचत खाता खोला गया है तथा 46 समूहों को 23,00,000 लाख रूपये का प्रथम ऋण वितरण किया गया है एवं 22 समहों को द्वितीय ऋण 11,00,000 लाख रूपये वितरण किया गया है । जिला दुर्ग के विकासखण धमधा एवं दुर्ग हेतु निर्धारित लक्ष्य 150 समूह के विरूद्ध 27 समूहों का गठन कर 27 समूहों का बचत खाता खोला गया है जिसमें से 24 समूहों को 12,00,000 लाख रूपये का प्रथम ऋण वितरण किया गया है । जिला धमतरी हेतु निर्धारित लक्ष्य 300 समूहों के विरूद्ध 194 समूहों का गठन कर 189 समूहों का बचत खाता खोला गया है जिसमें से 182 समूहों को 91,00,000 लाख रूपये का प्रथम ऋण प्रदाय किया गया है तथा 59 समूहों को 29,50,000 लाख रूपये का द्वितीय ऋण प्रदाय किया गया है । वर्तमान प्रगति के अनुसार नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लक्षित लक्ष्य 550 समूहों के विरूद्ध 289 समूहों का गठन कर 274 समूहों का बचत खाता खोला गया है जिसमें से 252 समूहों को 1,26,00,000 लाख रूपये का प्रथम ऋण वितरण किया गया है एवं समूहों को 40,50,000 लाख रूपये का द्वितीय ऋण वितरण किया गया है इस प्रकार कुल 1,66,50,000 लाख रूपये का ऋण प्रदाय किया गया है । आज भूमिहीन किसान उन्नत उत्पादन के साथ स्वावलंबी बन रहे है तथा 100 प्रतिशत ऋण वापसी की सफलता का पर्याय बनकर जिला बालोद, दुर्ग एवं धमतरी में बैंको का विश्वास जीता है।

प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए संयुक्त देयता समूह

समूह जागरूगता कार्यक्रम में भाग लेते हुए संयुक्त देयता समूह, संस्था अध्यक्ष एवं बैकर्स अधिकरी

4. तृतीय पक्ष मूल्यांकन (टी.पी.एम) :-जिला धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, दुर्ग एवं बालोद

हितग्राहियों द्वारा लगाये फसल का अवलोकन करती हुई नेबकान्स मुंबई की अधिकारी एवं संस्था अध्यक्ष	संस्था के द्वारा मुल्यांकन के दौरान उपस्थित हितग्राही कृषकों का समूह

नाबार्ड/नेबकोन्स द्वारा वर्ष 2014–15 में कृषि विभाग के विभिन्न योजना NHM, RKVY एवं NMMI के अंतर्गत लाभान्वीत 900 हितग्राहियों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य दिया गया था जिसमें जिला धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर, दुर्ग एवं बालोद के क्रमशः 150–150 कुल 900 लाभान्वीत हितग्राहियों का सफल मूल्यांकन का कार्य संस्था द्वारा किया गया मूल्यांकन पश्चात स्वीकृत सेम्पल नाबार्ड/नेबकोन्स मुंबई को भेजा गया ।

5. किसान उत्पादक समूह (एफ.पी.ओ.) ग्राम अकलवारा जिला बालोद का गठन

प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग द्वारा वर्ष 2016 में नाबार्ड के उत्पादक समूह कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम अकलवारा/कंवर स्थापना एवं सोसायटी एक्ट के तहत पंजीयन कराया गया एवं निम्नानुसार गतिविधियां कराई गई ।

:: कृशकों का जमावड़ा ::

नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के विस्तार हेतु दिनांक 30.03.2016 को ग्राम अकलवारा वि.खं.गुरूर जिला बालोद में कृषकों का बैठक आयोजित किया गया जिसमें 40 कृषकों से उत्पादक समूह से जुड़ने के बाद होने वाले लाभ के विषय पर विस्तृत चर्चा कर समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया । इसी प्रकार उत्पादक समूह विस्तार हेतु दिनांक 05.04.2016 को ग्राम कंवर वि.खं. गुरूर जिला बालोद में कृषकों का बैठक आयोजित किया गया जिसमें 50 कृषकों से उत्पादक समूह से जुड़ने के बाद होने वाले लाभ के विषय पर विस्तृत चर्चा कर समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया ।इसी प्रकार उत्पादक समूह विस्तार हेतु दिनांक 12.12.2016 को ग्राम रमतरा वि. खं.गुरूर जिला बालोद में कृषकों का बैठक आयोजित किया गया जिसमें 30 कृषकों से उत्पादक समूह से जुड़ने के बाद होने वाले लाभ के विषय पर विस्तृत चर्चा कर समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया । इसी प्रकार उत्पादक समूह विस्तार हेतु दिनांक 25.12.2016 को ग्राम पेण्डरवानी वि.खं.गुरूर जिला बालोद में कृषकों का बैठक आयोजित किया गया जिसमें 30 कृषकों से उत्पादक समूह से जुड़ने के बाद होने वाले लाभ के विषय पर विस्तृत चर्चा कर समूह से जुड़ने हेतु प्रेरित किया उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन से आज की स्थिति में उत्पादक समूह में 180 कृषक सदस्यों को जोड़ा जा चूका है ।

:: कृशकों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम ::

नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के कृषकों को स्थानीय स्तर पर दिनांक 20.12.2016 को ग्राम अकलवारा वि.खं.गुरूर जिला बालोद में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री विमल कुमार साहू के द्वारा उद्यानिकी फसल से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया । नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के कृषकों द्वितीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु उत्पादक समूह हरितक्रान्ति कोपा (सन्ना) वि.खं.बगीचा जिला जशपुर छ.ग. में दिनांक 15.09.2016 से दिनांक 16.09.2016 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु भेजा गया था जिसमें कृषकों के द्वारा उत्पादक समूह के संचालन, फसल उत्पादन एवं विपणन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के 10 कृषकों तृतीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र वाराणसी उ.प्र. में दिनांक 22.02.2017 से दिनांक 01.03.2017 तक 9 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु

भेजा गया था जिसमें कृषकों के द्वारा उत्पादक समूह के संचालन, फसल उत्पादन एवं विपणन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

:: BOD का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम ::

नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के BOD को प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु उत्पादक समूह हरितक्रान्ति कोपा (सन्ना) वि.खं.बगीचा जिला जशपुर छ.ग. में दिनांक 15.09.2016 से दिनांक 16.09.2016 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु भेजा गया था जिसमें BOD के सदस्यों द्वारा प्लानिंग मैनेजमेन्ट, लेखा संधारण, सदस्यता शुल्क, बिजनेश प्लान एवं आय–व्यय के विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया।

:: CEO का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम ::

नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के CEO श्री फगेश्वर साहू को प्रथम प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु उत्पादक समूह हरितक्रान्ति कोपा (सन्ना) वि.खं.बगीचा जिला जशपुर छ.ग. में दिनांक 15.09.2016 से दिनांक 16.09.2016 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु भेजा गया था जिसमें CEO द्वारा प्लानिंग मैनेजमेन्ट, लेखा संधारण, सदस्यता शुल्क, बिजनेश प्लान एवं आय–व्यय के विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया। नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के CEO श्री फगेश्वर साहू को द्वितीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु आशा संस्था भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 17.01.2017 से दिनांक 22.01.2017 तक छः दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु भेजा गया था जिसमें CEO द्वारा प्लानिंग मैनेजमेन्ट, लेखा संधारण, सदस्यता शुल्क, बिजनेश प्लान एवं आय–व्यय के विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया।

:: रिसोर्स पर्सन का चयन ::

नवगठित उत्पादक समूह श्री कृष्णा जैविक सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अकलवारा के बेहतर संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर एक रिसोर्स पर्सन श्री हेमंत मेश्राम का नियुक्ति किया गया है जो उत्पादक समूह के संचालन में अपना बेहतर योगदान दे रहे है।

संस्था के द्वारा किये गये कार्यों का निगरानी समिति द्वारा अवलोकन डी.डी.एम./एल.डी.एम. बालोद

कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों का अवलोकन करती हुई डी.डी.एम. बालोद/दुर्ग

6. वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रायोजित एवं प्रतिज्ञा विकास संस्थान द्वारा वित्तीय साक्षरता विषय पर आयोजित एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम जिला बालोद के वि. खं. गुरूर के दो ग्राम पंचायतों में जिला धमतरी में तीन ग्राम पंचायतों में जनवरी 2017 में कुल 05 कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से दीपिका मायखो डी.डी.एम. नाबार्ड बालोद/दुर्ग एवं धमतरी डी.डी.एम. श्री विजय धुरंधर एवं संस्था अध्यक्ष की उपस्थिति में साथ ही महिला समूह जे.एल.जी. किसान क्लब तथा ग्रामीण कृषकों ने भाग लिया। डी.डी.एम. ने कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुये बताया की ग्राम में निवासरत परिवार के प्रति व्यक्ति का बचत खाता एक होना अति आवश्यक है और वर्तमान में शासन की सभी प्रकार से मिलने वाली सहायता हितग्राही के खातें में ही दी जाती है जैसे गैस सब्सिडी, धान विक्रय दर, बोनस, ऋण राहत राशियों को खातें में ही दी जाती है एवं डी.डी.एम. ने वित्तीय समावेशन PMJDY, PMJJY, PMSBY, APY YOJNA तथा प्रत्येक परिवार की वित्तीय योजना के बारे में विस्तार से बताया। DDM ने PMFBY, KCC ब्याज अनुदान आदि विषयों पर विस्तार से ग्रामीणों को अवगत कराया। जिससे स्वयं की एक पहचान भी बैंकिंग रिकार्ड में रहती है । साथ ही संस्था द्वारा नाबार्ड से प्रसारित वित्तीय साक्षरता जागरूकता फिल्म जैसे ए.टी.एम. तथा माईक्रो ए.टी.एम. के बारे में प्रसारण, वित्तीय समावेशन, रूपे डेबिट कार्ड फिल्म, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं एस.बी.आई. डेबिट कार्ड तथा कैशलेस ट्रान्जेक्शन पर फिल्म का प्रसारण उपस्थित जनों को प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया । ए.टी.एम. के विस्तार से आमजन को बैंक बंद होने के बावजुद भी खाता धारक को समय पर पैसा मिल जाता है । साथ ही जीवन सुरभी, जीवन ज्योति, जीवन शुकन्या जैसी महप्वपूर्ण बैंकिंग सुरक्षा कवच के माध्यम से जुड़ने हेतु सुझाव दिया गया, साथ ही स्व–सहायता समूह, जे.एल.जी. एवं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आत्मनिर्भरता की कड़ी सभी बैंक लोन के कर्जधारियों को बीमा के साथ प्रीमियम राशि का सही समय पर संचालन करते रहना चाहिये और सहीं ग्राहक की बैंकों को भी जरूरत होती है और किसी भी प्रकार से बैंक ऋण को समय पर के.सी.सी. की ब्याज एवं मूलधन पटाने पर ब्याज अनुदान की पात्रता बनती है इसलिये सहीं समय पर ऋण अदा कर अच्छे ग्राहक बने ।

वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम में मार्गदर्शन देती हुई डी.डी.एम. नाबार्ड

वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम में मार्गदर्शन देती हुई डी.डी.एम. नाबार्ड

दीपिका मायखो जिला बालोद एवं संस्था अध्यक्ष	श्री विजय धुरंधर जिला धमतरी एवं संस्था अध्यक्ष